फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम–जहाजपुर (शाहपुरा)

लाड़ देवी पत्नि रामसिंह मीणा निवासी–कुराड़िया

बनाम

रामराज पिता शंकर मीणा निवासी–कुराडिया, वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 आर. एल.आर.ए. मुकदमा नं. 420/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
28.05.24	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की ग्राम कुराड़िया, प.ह. कुराड़िया तहसील–जहाजपुर में स्थित आराजी खसरा संख्या 317 रकबा 0.1214 हैक्टयर, आराजी खसरा संख्या 322 रकबा 0.1700 हैक्टयर, आराजी खसरा संख्या 519 रकबा 0. 1700 हैक्टयर कृषि कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र पत्र 111, 128 रा.ले. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम कुराड़िया, प.ह. कुराड़िया तहसील–जहाजपुर में स्थित आराजी खसरा संख्या 317 रकबा 0. 1214 हैक्टयर, आराजी खसरा संख्या 322 रकबा 0.1700 हैक्टयर, आराजी खसरा संख्या 519 रकबा 0.1700 हैक्टयर कृषि कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराड़िया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500/–रूपये तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100/–रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 28.05. 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला–शाहपुरा

क्रमांक / रीड़र / 2024/424/2024

दिनांक :– 28.05.2024

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र.सं. 420 /24 अनवान लाड़ देवी पत्नि रामसिंह मीणा निवासी–कुराड़िया **बनाम** रामराज पिता शंकर मीणा निवासी–कुराडिया, महावीर पिता शंकर मीणा निवासी–कुराड़िया, शिवराज पिता भूराराम मीणा निवासी–कुराडिया,सकराम पिता हरनाथ सिंह मीणा निवासी–कुराडिया, सांवरा पिता रतनलाल मीणा निवासी–कुराडिया, कैलाश पिता रतना मीणा निवासी–कुराडिया, लखमा पिता खाना मीणा निवासी–कुराडिया,लालू पिता हरला मीणा निवासी–कुराडिया, शम्भू पिता रतना मीणा निवासी–कुराडिया,सोजी पिता उरज्या मीणा निवासी–कुराडिया, मोहन पिता उरज्या मीणा निवासी–कुराडिया, रामचन्द्र पिता हरला मीणा निवासी–कुराडिया, छोटूलाल पिता जालमा मीणा निवासी–कुन्हाड़ी तहसील / जिला–कोटा, रामकुवार पिता गंगाराम मीणा निवासी–कुराडिया,रामस्वरूप पिता बालू मीणा निवासी–कुराडिया, शैतान पिता बद्रीलाल मीणा निवासी–कुराडिया, सौराज पिता कुंवरीलाल मीणा निवासी–कुराडिया, सोहनलाल पिता बालू मीणा निवासी–कुराडिया, हरचन्द पिता कुंवरीलाल मीणा निवासी–कुराडिया,.केसरलाल पिता बद्रीलाल मीणा निवासी–कुराडिया, मनोज कुमार पिता छगनलाल मीणा निवासी–कुराडिया, विक्रमसिंह पिता छगललाल मीणा निवासी–कुराडिया, दयाशंकर पिता लालाराम मीणा निवासी–कुराडिया, रमेश पिता रतनलाल मीणा निवासी–कुराडिया, सांवरा पिता रतनलाल मीणा निवासी–कुराडिया, महेश पिता छीतरलाल मीणा निवासी–कुराडिया, रतनलाल पिता सूरजमल मीणा निवासी–कुराडिया, रामकिशन पिता छीतरल लाल मीणा निवासी–कालाभाटा, लक्ष्मण पिता रतनलाल मीणा निवासी–कुराडिया, की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत्।

– – – – – –

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम कुराड़िया, प.ह. कुराड़िया तहसील–जहाजपुर में स्थित **आराजी खसरा संख्या 317 रकबा 0.1214 हैक्टयर, आराजी खसरा संख्या 322 रकबा 0.1700 हैक्टयर, आराजी खसरा संख्या 519 रकबा 0.1700 हैक्टयर कृषि** भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराड़िया को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1500/–रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / सम्मन भेजकर उभय पक्ष की उपस्थिति में पत्थरगरगढ़ी का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी आदेश पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner